लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
5. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
11. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पत्रांक–227/सचिव/उ0प्र0/2023 दिनांक : 07/02/2023

विषय – परिचालन के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रस्ताव सं0–1 भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप कन्वर्जन) तथा उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड नीति, 2022 के अनुपालन में चिन्हित टी0ओ0डी0 जोन्स के लिए प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर गठित समिति की संस्तुति के संबंध में प्रस्ताव।

भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप कन्वर्जन) तैयार की गयी। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या–33/अमृत महायोजना/शासकीय समिति/स0नि0(के)/2021–22, दिनांक 20.05.2022 के द्वारा सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित शासकीय समिति की बैठक दिनांक 27.11.2021 के कार्यवृत्त के अनुसार समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप कन्वर्जन) को लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–11 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी।

त्दक्रम में लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप कन्वर्जन) पर प्राधिकरण बोर्ड की 174वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22.06.2022 में मद सं0–174/03 में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 11 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा विचलनों को चिन्हित करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित कर निस्तारित कराये जाने के निर्देश दिये गये। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश के कम में लखनऊ महायोजना–2031 (कन्वर्जन प्रारूप) पर दिनांक 21.07.2022 से 09.09.2022 तक प्रदर्शनी लगायी गयी। निर्धारित अवधि में जनसामान्य से कुल 405 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये। शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में दिनांक 06.10.2022 से दिनांक 15.10.2022 तक सुनवाई की गयी। लखनऊ महायोजना–2031 (कन्वर्जन प्रारूप) पर समिति द्वारा की गयी सुनवाई उपरान्त समिति की संस्तुति अनुलग्नक–(1) पर अवस्थित है।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–2754/आठ–3–2022, दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड नीति, 2022 के अनुपालन में टी0ओ0डी0 जोन्स के लिए जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेण्ड नीति–2022 के प्राविधानों के

अनुसार टी0ओ0डी0 जोन्स की सीमाओं के वास्तविक/ भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिसीमन/सीमांकन किये जाने एवं तद्नुसार महायोजनाओं के संशोधित प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उ0प्र0 ट्रांजिट ओरिएण्टेण्ड नीति–2022 के प्राविधानों के अनुसार टी0ओ0डी0 (ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट) जोन से संबंधित आपत्ति/सुझाव जनसामान्य से 15 दिवस की समयावधि में आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की 176वीं बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश के कम में लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कनवर्जन प्रारूप) पर दिनांक 12.12.2022 से 26.12.2022 तक प्रदर्शनी लगायी गयी। निर्धारित अवधि में जनसामान्य से कुल 14 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये। शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण में दिनांक 16.01.2023 को सुनवाई की गयी। टी0ओ0डी0 जोन्स् से सम्बन्धित समिति द्वारा की गयी सुनवाई उपरान्त समिति की संस्तुति अनुलग्नक–(2) पर अवस्थित है।

उपरोक्तानुसार भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (कन्वर्जन प्रारूप) तथा उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड नीति, 2022 के अनुपालन में चिहिन्त टी0ओ0डी0 जोन्स के लिए प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुसार निर्धारित अवधि में (संशोधित कन्वर्जन प्रारूप) पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई पूर्ण होने के उपरान्त गठित सुनवाई समिति की संस्तुति को शासन को प्रेषित किये जाने हेतु परिचालन के माध्यम से प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>प्रस्ताव सं0–2</u> वर्तमान लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित पूर्व अधिसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त निम्न प्रस्तावित क्षेत्रों को अनाधिसूचित/अधिसूचित किये जाने एवं प्रस्तावित क्षेत्र को लखनऊ विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 के पत्र सं0–576/आठ–10–2022 दिनांक 11.01.2023 द्वारा मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक के पत्र सं0–1708/व.नि.(4)/लखनऊ सीमा–विस्तार/2022–23 दिनांक 28.12.2022 के कम में संशोधित सीमा विस्तार प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। तद्क्रम में वर्तमान लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित पूर्व अधिसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त निम्न प्रस्तावित क्षेत्रों को अनाधिसूचित/अधिसूचित किये जाने एवं प्रस्तावित क्षेत्र को लखनऊ विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध प्रस्ताव अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:–

1. <u>अनाधिसूचित किये जाने वाला क्षेत्र</u>

(क) लीडा के अन्तर्गत जनपद–लखनऊ के 45 ग्राम जो औद्योगिक विकास अनुभाग–4 की अधिसूचना सं0–1133/77–4–21–193भा0–04, दिनांक 04 मार्च, 2021 के अन्तर्गत यूपीसीडा में सम्मिलित किये गये हैं,को अनाधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) अयोध्या मण्डल के जनपद–बाराबंकी के अधिसूचित विनियमित क्षेत्र को अनाधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव है।

2. <u>अधिसूचित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्र</u>

(i) लखनऊ महानगर के सरोजनी नगर विकास खण्ड का अवशेष क्षेत्र।
(ii) लखनऊ महानगर के काकोरी विकास खण्ड का अवशेष क्षेत्र।
(iii) लखनऊ महानगर के मलिहाबाद विकास खण्ड का अवशेष क्षेत्र।
(iv) लखनऊ महानगर के बख्शी का तालाब विकास खण्ड का अवशेष क्षेत्र।
(v) लखनऊ महानगर के गोसाई गंज विकास खण्ड का अवशेष क्षेत्र।
(vi) लखनऊ महानगर के मोहनलालगंज विकास खण्ड का अवशेष क्षेत्र।
(vii) लखनऊ जनपद की महोना, इटौजा, मलिहाबाद, नगराम, अमेठी, काकोरी, बक्शी का तालाब, मोहनलालगंज, बंथरा एवं गोसाईगंज नगर पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र।

(viii) यूपी सीडा/लीडा के अन्तर्गत जनपद लखनऊ अधिसूचना सं0–1133/77–4–21–193 भा0–04, दिनांक 04 मार्च, 2021 का क्षेत्र।
(ix) अयोध्या मण्डल के जनपद बाराबंकी के निंदूरा विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र।
(x) अयोध्या मण्डल के जनपद बाराबंकी के देवा विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र।
(xi) अयोध्या मण्डल के जनपद बाराबंकी के बंकी विकास खण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र।
(xii) अयोध्या मण्डल के जनपद बाराबंकी के नगर पालिका परिषद नवाबगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र।
(xiii) अयोध्या मण्डल के जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत देवा एवं बंकी का सम्पूर्ण क्षेत्र।

प्रस्ताव सं0–(3) लखनऊ जनपद में पिपराघाट के समीप गोमती नदी पर निर्मित पुल से शहीद पथ तक गोमती नदी के बायें तटबन्ध पर 4लेन सड़क को "जी–20 रोड" के नाम से नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

गोमती नदी के बायें तटबन्ध पर 4लेन सड़क का निर्माण 6.0 किमी0 लम्बाई में कराया गया है, जिसकी कुल चौड़ाई 24-00 मीटर है। इस सड़क के मध्य में डिवाईडर के दोनों तरफ 7-5 मी० कैरिज वे तथा फुटपाथ, प्लान्टर एवं ड्रेन के साथ रिटेनिंगवाल का निर्माण कार्य शासन से प्राप्त धनराशि से किया गया है। इस सड़क का लोकार्पण मा० मुख्यमंत्री जी. उत्तर प्रदेश सरकार तथा मा० रक्षामंत्री जी, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2021 को किया जा चुका है। इस सड़क के निर्माण से शहीद पथ से पिपराघाट होते हुये एक तरफ समतामूलक चौराहे की कनेक्टिविटी तथा दूसरी तरफ पिपराघाट पुल से कैन्ट एरिया की कनेक्टिविटी हो गयी है। इस सड़क के निर्माण से जनसामान्य को सुगम यातायात की सुविधा प्राप्त हो रही है। उक्त सड़क का नामकरण अभी तक नहीं हो पाया है। अतः गोमती पिपराघाट के समीप गोमती नदी पुल से शहीद पथ तक गोमती नदी के बायें तटबन्ध पर 4 लेन सड़क का नामकरण फरवरी, 2023 में जी–20 शिखर समिट के आयोजन के दृष्टिगत स्मृति हेतु "जी –20 रोड" के नाम से किये जाने का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव सं0–(4) अटल बिहारी बाजपेयी इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निकट सी0बी0डी0 योजना में फ्यूचर प्लानिंग हेतु उपलब्ध भूखण्ड (क्षेत्रफल 51069.12 वर्गमी0) पर **FINE DINING STREET** विकसित किये जाने के संबंध में।

अटल बिहारी बाजपेयी इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के सामने सी.बी.डी. योजना के पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में फ्यूचर प्लानिंग के लिए भूमि आरक्षित थी। सी.बी.डी. योजना के पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में इस भूमि की विक्रयशीलता बढाने तथा स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त भूखण्डों को छोटे–छोटे भूखण्डों में उपविभाजन करने का निर्णय लेते हुए यह मत स्थिर किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के सन्निकट स्थित क्रिकेट स्टेडियम, विभिन्न सरकारी संस्थान, अस्पताल, बहुमंजिले भवनों के दृष्टिगत इन सृजित भूखण्डों पर केवल रेस्टोरेन्ट/होटल की अनुमन्यता दी जाय।

उपरोक्त के क्रम में प्रश्नगत भूखण्ड पर कुल 17 भूखण्डों का सृजन किया गया है, जो DS-1 से DS-15 तथा **CP-7** से **CP-8** नियोजित है इनमें से DS-1 से DS-15 पर रेस्टोरेन्ट/होटल अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है तथा इस योजना को FINE DINING STREEET का नाम प्रस्तावित किया गया है। अटल बिहारी बाजपेयी इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निकट सी0बी0डी0 योजना में फ्यूचर प्लानिंग हेतु उपलब्ध भूखण्ड पर FINE DINING STREET विकसित किये जाने के संबंध में परिचालन में माध्यम से प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रग्न-राखा–40

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट रेट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 मार्च, 2021

फाल्गुन 13, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–4

संख्या 1133/77-4–21-193मा0-04

लखनऊ, 4 मार्च, 2021

अधिसूचना

प0मा0–70

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचना संख्या 1193/77-4–2005-193मा0-04टी0सी0, दिनांक 28 जुलाई, 2005 पूर्व कृत या किये जाने हेतु लोपित बातों के सिवाय, का विखण्ड करती है, जिसके द्वारा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था।

राज्यपाल अगतर यह घोषणा करती है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों से समाविष्ट क्षेत्र को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में सम्मिलित किया जायेगा।

अनुसूची

जिला लखनऊ के 42 ग्रामों को, जिला उन्नाव के 24 ग्रामों को मूलतः उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में सम्मिलित किये जायेंगे।

ग्रामों के नाम (जिला–लखनऊ)

1– मीरानपुर निचवट
2– औजवां
3– बन्थरा सिकन्दरपुर
4– खाण्डेदेव
5– सराय शहजादी
6– बनी
7– पिपरसण्ड
8– रामचौरा
9– अन्धापुरदेव
10– गढ़ी चुनौटी
11– बेती
12– नौबापुर
13– दादूपुर
14– खसरवारा
15– पहाड़पुर
16– जहानाबाद
17– कुरैनी
18– नक्कर
19– किशुनपुर कौडिया
20– लोनहा
21– मटमव
22– लतीफनगर
23– इसौली
24– रहीमनगर पडियाना
25– हुलासखेडा
26– बहदनामऊ
27– भटगांव पाण्डे
28– निर्जापुर लुटटावां
29– सैदपुर पुरही
30– धावापुर
31– चन्द्रावल
32– रसूलपुर इदुरिया
33– परवर पूरव
34– परवर पश्चिम
35– जैतीखेड़ा
36– बिजनौर
37– शाहपुर मझिगवां
38– सरैया
39– नूरनगर मदरसा
40– बीबीपुर
41– नीवां
42– मखदुमपुर कंथी
43– खटोला
44– भागूखेड़ा
45– रवौली

ग्रामों के नाम (जिला–उन्नाव)

1– मखदूमपुर
2– आम्रखेडा
3– कुसाइरी
4– अजगैन
5– बच्चा
6– मलाव
7– मझौरा
8– [illegible]
9– [illegible]
10– [illegible]
11– [illegible]
12– [illegible]
13– मोहरामऊ
14– लालपुर
15– मिर्जापुर
16– कुसुमी
17– चन्दौली
18– बिचपरी
19– रसूलपुर
20– गहनेरा
21– गोरा कटियन
22– मुजफ्फरपुर
23– गजौली
24– इन्द्री

25– वाजिदपुर	30– शेखपुरनसी
26– हुसैननगर	31– बग्घर
27– उन्नाव	32– कड़रपत्तारी
28– गदनखेड़ा	33– करमीविमालादेव
29– सिमरोसी	34– पुटरीपीरू खेड़ा

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1133/LXXVII-4-21-193Bha-04, dated March 4, 2021 for general information.

No. 1133/LXXVII-4-21-193Bha-04

Dated Lucknow, March 4, 2021

IN exercise of the powers under clause (d) of section 2 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) *read* with section 21 of the U.P. General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to rescind the notification no. 1193/LXXVII-4-2005-193 Bha-04 T.C., dated July 28, 2005 which had set up Lucknow Industrial Development Authority except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

The Governor is further pleased to declare that the area comprising the villages mentioned in the Schedule below shall be included in the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA).

SCHEDULE

List of 45 villages of district Lucknow and 34 villages of district Unnao which shall be included in the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA)

Name of the villages (District-Lucknow)

1. Miranpur Pinwat	19. Kishunpur Kaudia
2. Aurawan	20. Lonha
3. Banthara Sikanderpur	21. Bhatgaon
4. Khandedeo	22. Latif Nagar
5. Sarai Shaljadi	23. Haraini
6. Bani	24. Rahim Nagar Padiana
7. Pipersand	25. Hulaskhera
8. Ram Chaura	26. Bahadnaman
9. Andapurdeo	27. Bhatgaon Pandey
10. Garhi Chaunauli	28. Mirjapur Luteya
11. Beri	29. Saidpur Purhi
12. Bhaukapur	30. Dhawapur
13. Dadupur	31. Chandrawal
14. Khasarwara	32. Rasulpur Ithuria
15. Paharpur	33. Parwar Purab
16. Jahanabad	34. Parwar Pashchim
17. Khraunti	35. Jainkheda
18. Kakhi	36. Bijnot

	34. Kasmai Pashchim
	35. Jainkheda
	36. Bijnor

37. Shahpur Majhigawan	42. Makhdumpur Kathi
38. Saraiya	43. Khatola
39. Nurnagar Bhadursa	44. Bhagukhera
40. Bibipur	45. Ratauni
41. Niwa	

Name of the villages (District-Unnao)

1. Makhdumpur	18. Bichpari
2. Ashakheda	19. Rasulpur
3. Kushahari	20. Mahanaura
4. Ajgain	21. Sarai Katiyan
5. Banwa	22. Murtazanagar
6. Malaon	23. Gajauli
7. Bajehra	24. Jhajhari
8. Khwajgipur	25. Wazidpur
9. Amretha	26. Husain Nagar
10. Pachhriyaw	27. Unnao
11. Parsandan	28. Gadankhera
12. Jagdishpur	29. Sigrosi
13. Sohramau	30. Sheopur Nari
14. Lalpur	31. Banther
15. Mirjapur	32. Kaderpatari
16. Kusumbhi	33. Karmaivimaladeo
17. Chamrauli	34. Patripirukhera

By order,

ARVIND KUMAR,

Apar Mukhya Sachiv